

5/2/18

वकील इपीलोट के आवेदन पर पत्राचार  
 तदनुसार की गई। आवेदन के उत्तर  
 दिनांक 21.3.2011 को इपीलोट को  
 न्यायालय ACEM, Khandela के  
 आदेश क्र. 93/2004 उच्च न्यायालय  
 कानून बजटिंग में जारी दिनांक  
 21.3.2011 को  
 यथावत रखने की कोर्ट आदेश  
 ऐतबार नहीं है, अतः वे हस्तागत  
 इपीलोट 59/2014 उच्च न्यायालय  
 दिनांक 21.3.2011 को नोट  
 पेश के खासिक कालाना चाहते हैं।  
 वकील रोजे ~~का~~ की उपस्थिति  
 में वकील इपीलोट उच्च  
 को नोट पेश में खासिक  
 कालाना चाहते हैं अतः उनके  
 निवेदन व वकील रोजे की  
 सहमति के अधीन पर  
 आवेदन स्वीकार कर उच्च  
 (हस्तागत इपीलोट) नोट पेश के  
 खासिक की गयी है। पत्राचार  
 फेडरेशन युवा होम नम्बर 1 कठ  
 के तहत दाखिल कानून की  
 जारी दिनांक मुनाफा गणना



Mishra  
 हाजिर

57  
 पत्राचार

Handwritten signature and date at the bottom of the page.